

“विस्तार सुधारो के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता” योजना के अंतर्गत चलाई जाने वाली संशोधित कैफेटेरिया गतिविधियों संबंधी लागत मानक और औचित्य का विवरण

क. राज्य स्तर की गतिविधियां

राशि लाख रुपये में

क्र. सं.	चलाई जाने वाली निर्देशात्मक गतिविधियां	लागत मानक			औचित्य	क्या चालू अथवा नई गतिविधि है	दसवीं योजना लागत मानक
		इकाई	लागत मानक अधिकतम	अधिकतम			
1	2	3	4	5	6	7	8
क. 1	प्रोत्साहित राज्य एम एण्ड ई इकाई का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन	प्रति एम एण्ड ई इकाई	1.20	1.20	नौवीं योजना में पहले से अनुमोदित	चालू है	1.20 प्रति राज्य

<p>–सिस्टम अपग्रेडेशन और कनेक्टिविटी सहित कम्प्यूटर संसाधन उपलब्ध कराना प्रति छमाई समीक्षात्मक कार्यशाला और आर-ई परियोजनाएं (मौसमपूर्व) अन्य पक्षीय अनुवीक्षा एवं मूल्यांकन</p>	<p>प्रति कार्यशाला परिचर्चा वार्षिक</p>	<p>0.50</p>	<p>2.00</p>	<p>यह एक महत्वपूर्ण घटक है यह एक महत्वपूर्ण घटक है</p>	<p>नयी गतिविधि</p>	
<p>विस्तार सुधारों के अन्तरविभागीय कार्यदल और</p>	<p>प्रतिवर्ष</p>	<p>—</p>	<p>स्वीकृत राज्य के वार्षिक कार्ययो जना का 5 प्र.श. (अधिक तम 10.00)</p> <p>1.00</p>	<p>यह एक महत्वपूर्ण घटक है</p>	<p>नयी गतिविधि</p>	

क.2	<p>अन्य आकस्मितायों के लिए व्यय</p> <p>प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय / अन्तरराज्यीय / राज्य स्तरीय (समेकित)–इग्नू पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क—दोनों सरकारी एवं गैर सरकारी विस्तार कार्यकर्त्ताओं (एनजीओ, पैरा विस्तार कार्यकर्त्ताओं, उद्यमियों, एग्री क्लिनिकों, एग्री बिजनेज केंद्रों, निवेश प्रदायकों, निगमितों इत्यादि सहित)</p>	<p>प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन</p>	<p>650 रूपये+ सामान्य यातायात भत्ता राज्य से बाहर प्रशिक्षण के लिए 2 ए.सी. तक सीमित</p>	<p>5.00</p>	<p>सामान्य यातायात भत्ता अतिरिक्त ए.सी 2 टायर तक सीमित यात्रा अवधि सहित प्रशिक्षण अवधि 5 कार्य दिवस से अधिक नहीं। इग्नू पाठ्यक्रमों के लिए</p>	<p>नयी गतिविधि चालू कार्यक्रमों के आधार पर विकसित</p>	<p>0.916 20 प्रतिभागियों के लिए 8 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (यातायात भत्ता / दैनिक भत्ता सहित) 0.576 20 प्रतिभागियों के लिए 5 दिवसीय राज्य स्तरीय सहयोगात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दैनिक भत्ता सहित)</p>
-----	---	---------------------------------	---	-------------	--	---	--

क. 3	प्रगतिशील राज्यों में विस्तार कार्यकत्ताओं का प्रदर्शन दौरा (10 प्रतिभागियों का एक समूह)—केवल अन्तर्राज्यीय दौरा, यातायात अवधि सहित 5 दिनों का	प्रति प्रतिभागी प्रति दिन	200.00 रुपये+ यातायात भत्ता / दैनिक भत्ता	5.00	शुल्क अधिकतम सीमा के अंदर पूरा सामान्य यातायात भत्ता / दैनिक भत्ता एसी 2 टायर तक सीमित । नौवीं योजना के अंतर्गत पहले से ही स्वीृत	चालू है	0.543, 10 प्रतिभागियों के एक समूह के लिए 15 द्विवसीय (यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता सहित)
क.4	राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों / किसान	प्रति वर्ष		5.00	नौवीं योजना के लिए पहले से स्वीकृत	चालू है	प्रस्तावों और उपलब्ध बजट के मद्देनजर जगह

	मेलों/फल सब्जी प्रदर्शनी आदि ।						किराये पर लेने, प्रदर्श तैयार करने, प्रतिभागियों आदि की यातायात लागत अंतर कम करने के उद्देश्य से ।
क.5	कृषि मेला/क्षेत्रीय मेले <ul style="list-style-type: none"> ■ डीएसी द्वारा आयोजित कृषि मेले में भागीदारी ■ डीएसी द्वारा सहायता प्राप्त क्षेत्रीय मेलों में भागीदारी योग	प्रति राज्य	1.60 0.50	1.00 0.50	राज्य की सक्रिय भागीदारी	नयी गतिविधि	प्रस्तावों और उपलब्ध बजट के मद्देनजर जगह किराये पर लेने, प्रदर्श तैयार करने, प्रतिभागियों आदि की यातायात लागत अंतर कम करने के उद्देश्य से ।
क.6	पुरस्कार एवं प्रोत्साहन उत्तम कार्य करने वाले आत्मा जिला के लिए पुरस्कार	वार्षिक प्रतियोगिता	1.00	1.00		नयी गतिविधि	
क.7	राज्य कृषि प्रबंधन और					नयी गतिविधि	

<p>विस्तार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक स्वयत्तता और निजी गतिविधियों के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन एवं पुनर्गठन</p>	—	—	—	<p>राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है</p>
<p>आवर्ती वेतन एवं भत्ते क) एचआरडी, प्रबंधन प्रशिक्षण भागीदारी क्रियाविधि, संचार, आईटी के जरूरतमंद क्षेत्रों के प्रभाग और सहायक स्टाफ</p>	प्रतिवर्ष	—	9.00	
<p>ख) प्रचालानात्मक व्यय '</p>				

ग) सफल कहानियों आदि का प्रलेखीकरण (तैयारी एवं प्रेषण)	प्रतिवर्ष	—	3.00	
घ) वाहन किराए पर लेना	प्रतिवर्ष	—	3.00	
गैर आवर्ती	एकबार	—	6.00	सूची संलग्न
ड.) उपकरण				
च) इमारत की मरम्मत/प्रशिक्षण हाल का सु-सज्जीकरण के लिए एक बार अनुदान	एक बार	—	5.00	प्रथम वर्ष
			26.00	बाद के वर्षों
			15.00	में
योग				
'टिप्पणी देखें				

ख. जिला स्तरीय गतिविधियां (प्रत्येक जिला के लिए)

कैफेटेरिया के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों के लिए संसाधनों का विस्तार निम्नलिखित मुख्य घटकों के अनुसार होगा जो नीचे दिया गया है :-

- कृषक उन्मुखी गतिविधियां 40 प्रतिशत
- कृषि सूचनाओं का प्रसारण 20 प्रतिशत
- अनुसंधान – विस्तार–किसान–सम्पर्क 15 प्रतिशत
- प्रशासनिक व्यय (आवर्ती) 20 प्रतिशत

योग 100 प्रतिशत

क्र. सं.	चलायी जाने वाली निर्देशात्मक गतिविधियां	लागत मानक			औचित्य	क्या चालू अथवा नयी गतिविधि	नौवीं योजना लागत मानक
		इकाई	लागत मानक (अतिरिक्त)	सीमा			
1	2	3	4	5	6	7	8
ख. 1	1. कृषकोंमुखी गतिविधियां रणनीति अनुसंधान एवं विस्तार योजना (सरेप) का विकास	प्रति जिला	2.50	2.50	जिला कोर दल बीटीटी जिलों के दिग्जिन्यास करने, पीआरए का आयोजन	नयी गतिविधि	

					और सरेप की तैयारी / मुद्रण		
ख. 2	किसानों को प्रशिक्षण क) जिला स्तरीय	प्रति किसान प्रति दिन	300.00 रूपये बस यात्रा के 120.00 रूपये मिलाकर	3.00	नौवीं योजना के लिए स्वीकृत	चालू है	क. यातायात व्यय सहित 25 किसानों के लिए 3 दिन के लिए 16125.00 रूपये 25 किसानों के प्रति समूह के लिए ख. तीन दिन प्रशिक्षण के लिए 2500.00 रूपये
ख.	प्रदर्शन आयोजन	प्रति प्रदर्शन	0.01	3.00	नौवीं योजना के लिए	चालू है	प्रति प्रदर्शन

3					स्वीकृत		1000.00 रूपये
ख. 4	शकसानों का अन्तर्राज्यीय और अन्तर्जिलों प्रदर्शन दौरा यात्रा अवधि सहित अधिकतम 5 दिनों का	प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	85.00 रूपये+यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता	3.00	नौवीं योजना के लिए स्वीकृत सार्वजनिक बस / ट्रेन	चालू	20 किसानों के एक समूह के लिए यात्रा भत्ता 15 दिनों के लिए दैनिक भत्ता सहित 0.50
ख. 5	किसान हित समूहों, महिला समूहों, किसान संगठनों, संगठनों और किसान सहकारी समितियों आदि सहित विभिन्न तरह के किसान संगठनों का संचालन क) उनका क्षमता निर्माण कौशल विकास और सहायता	प्रति समूह / प्रति वर्ष	5000.00 रूपये	5.00 (सीड मैनी / परिक्रामी निधि के लिए 2.50 लाख रूपये मिलाकर)	तदैव	चालू है । नयी गतिविधि	प्रति समूह 5000.00 रूपये

	सेवाएं						
ख. 6	पुरस्कार एवं प्रोत्साहन – विभिन्न उद्यमों का प्रति निधित्व करने वाले सर्वोत्तम गठित समूह (5 समूह)	प्रति समूह प्रति वर्ष	20000.00 रूपये	1.00	–	नयी गतिविधि	

II कृषि सूचना का प्रसार

ख..	जिला स्तरीय प्रदर्शनियां, किसान मेले, फल/सब्जी प्रदर्शनियां	प्रति जिला	1.00	2.00	चालू योजनाओं के अनुभवों पर आधारित	नयी गतिविधि	
ख.8	मुद्रित पुस्तिका आदि के माध्यम से सूचना प्रसार और स्थानीय विज्ञापन	प्रति जिला	–	2.00	तदैव	नयी गतिविधि	
ख.9	आईटी नेटवर्क के साथ साझेदारी किए जाने वाले इलैक्ट्रॉनिक फार्म आधारित प्रौद्योगिकी पैकेज का विकास	प्रति पैकेज	0.20 (एक सीडी की उत्पादन लागत)	1.00	सूचना प्रौद्योगिकी-। उपयोग के बढ़ाने के लिए यह एक	नयी गतिविधि	

					महत्वपूर्ण गतिविधि है		
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

III कृषि प्रौद्योगिकी का पुनर्परिष्करण, मानवीकरण और अंगीकरण

ख10	25 किसानों का 2 दिन के लिए जिला स्तर पर किसान वैज्ञानिक-सम्पर्क	प्रति सम्पर्क	0 प्रतिशत	प्रत्येक फसल मौसम में 0.20	तदैव	चालू है	10,000.00 रुपये प्रति सम्पर्क 25 किसान-2 दिन (किसानों को प्रतिदिन का भत्ता सहित)
ख11	अनुसंधान-विस्तार-किसान सम्पर्क को सुदृढ़ करने के लिए फील्ड दिवस व किसान गोष्ठियों का आयोजन (प्रत्येक मौसम में एक प्रतिखण्ड)	प्रति खण्ड प्रति कार्यक्रम	0.15	2.00	यथोक्त	क्रियाशील	फील्ड दिवस-10000.00 रु. प्रत्येक किसान गोष्ठी के लिए 15,000

ख12	कृषि विज्ञान केंद्र तथा अन्य स्थानीय अनुसंधान केंद्रों के जरिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों और अन्य लघु अवधि अनुसंधान योग्य मामलों का मूल्यांकन, परिशोधन, वैकीकरण और अंगीकरण	प्रति जिला	कृषि विज्ञान केंद्र/स्थानीय अनुसंधान केंद्र के मूल्यांकन के अनुसार	1.00	क्रियाशील योजनाओं के अनुभवों पर आधारित	नया क्रियाकलाप	
-----	--	------------	--	------	--	----------------	--

IV प्रशासन/पूँजी व्यय

ख13	आत्मा जैसी संस्थाओं की स्थापना आवर्ती <ul style="list-style-type: none"> ▪ वेतन एवं भत्ता ▪ यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता ▪ जिला स्तर पर क्रियात्मक व्यय 	— प्रत्येक जिला —यथोक्त—	— — —	— 1.00 2.00	राज्य द्वारा वहन किया जाएगा	नया क्रियाकलाप	
	पूर्णतः ब्लाक स्तर पर क्रियात्मक व्यय	सभी ब्लाक प्रत्येक	2.00 प्रत्येक				

1	2	3	4	5	6	7	8
ख14	ब्लाक स्तर पर कृषि सूचना एवं सलाकार केंद्र की स्थापना जो प्रभावी सम्पर्क हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में उपलब्ध कराता है	प्रत्येक ब्लाक	1.30	ब्लाक का अधिकतम 10 प्रतिशत या जो भी कम हो	एक-एक वर्ष के लिए, इसके बाद इसे अपना राजस्व अर्जित करना होगा	नया क्रियाकलाप	

ग.1	राज्य स्तरीय क्रियाकलाप एग्री-क्लीनिक योजना के तहत कृषि उद्यम में प्रशिक्षित के माध्यम से विस्तार क्रियाकलापों का क्रियान्वयन	आईडीडब्ल्यूजी द्वारा मंजूर की जाएगी	कैफेटेरिया में मंजूरी के अनुसार	आत्मा जिलों की X 2.5	आत्मा और एग्री-क्लीनिक स्कीम के जोड़ने के लिए	नया क्रियाकलाप	आत्मा को उप आवंटन किया जाएगा आईडीडब्ल्यूजी द्वारा जीबी निर्धारित किया जाएगा, संबंधित विस्तार क्रियाकलापों पर अमल में मैनेज
-----	---	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------	---	----------------	--

							पूरी तरह कार्यरत रहेगा
ग.2	जिला स्तरीय क्रियाकलाप जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए सहायता –इसमें क्रियात्मक व्यय तथा गैर आवर्ती व्यय शामिल हो सकता है ।	प्रत्येक आत्मा जिला के लिए एक संस्था		2.50	इन संस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए	नया क्रियाकलाप	जीबी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा आत्मा

टिप्पण :

- कम से कम लाभग्राहियों के योगदान को 10प्रतिशत की गणना राज्य स्तर के चार क्रियाकलाप, अर्थात्—किसान प्रशिक्षण (ख-2), प्रदर्शन (ख-3), प्रदर्शन दौरे (ख-4) तथा किसान समूहों का क्षमता निर्माण (ख-5), जो कैफेटेरिया में है, के लिए की जानी चाहिए ।
- कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के लिए निर्धारित संसाधनों में से कम से कम संसाधनों का 30 प्रतिशत कृषक महिलाओं व विस्तार कर्मियों के लिए आवंटित की जाती है ।
- जिला स्तरपर आवर्ती क्रियाकलापों पर आवंटन का कम से कम 10 प्रतिशत गैर सरकारी क्षेत्र अर्थात् गैर सरकारी संगठन, एफओ, पीआरआई, सहकारिता, आई विस्तार कर्मी, कृषि उद्यम, आदान आपूर्ति, निगमित क्षेत्र आदि के जरिए प्रयोग किया जाता है ।
- जब तक कि स्कीम में विशिष्ट तथा निर्दिष्ट न हो तब तक कर्मचारियों के वेतन, बुनियादी ढांचें, सिविल कार्य वाहन या राजसहायता जैसे भारत सरकार के संसाधनों से कोई खर्च नहीं किया जाना चाहिए ।

- उपर्युक्त प्रस्तावित लागत नियम व सीमा को अपवादित परिस्थितियों में उल्लिखित सीमा से 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।
- उपर्युक्त में किसी भी तरह के परिवर्तन, पूर्ववर्ती पैरा में दी गई सीमा और ऊपर कैफेटेरिया में उल्लिखित किसी नये क्रियाकलाप को कृषि एवं सहसकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन से राज्य कर सकते हैं ।
- विस्तार कार्य योजना आवंटन से किसी अवांछनीय मद पर खर्च नहीं किया जाएगा । यदि कोई ऐसा खर्च किया जाता है तो राज्य के अगले वर्ष के आवंटन से ऐसी अवांछनीय मद पर किए गए खर्च को काट लिया जाएगा ।
- जिला स्तर क्रियाकलापों के संसाधन के तहत विभिन्न क्रियाकलापों से निर्धारित किए गए हैं, किसानोन्मुखी क्रियाकलाप (45 प्रतिशत), कृषि सूचना प्रसार (20 प्रतिशत), अंतिम तीन क्रियाकलापों से निधियों को प्रथम श्रेणी अर्थात् किसानोन्मुखी क्रियाकलापों के लिए बदला जा सकता है ।

3.1 संगठनात्मक व्यय, क्रम सं० ए—(बी) 7 राज्य स्तर के क्रियाकलापों के तहत क्रम सं० बी—13 जिला स्तर के क्रियाकलाप और क्रम सं० सी—2 तकनीकी सहायता सहित नवीन क्रियाकलाप, परामर्श, विशेष अध्ययन, कार्यशालाएं, लायब्रेरी, इन्टरनेट, टेलीफोन तथा एफआईएसी बैठकों के लिए स्थान सहित अन्य आकस्मिकताएं ।